बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
(वाणिज्य विभाग)

कार्यालय आदेश– Com/Resolution -84/13 193 दिनांक 19/6/13

विषय :–	विभिन्न जिला सर्टिफिकेट कोर्ट के समक्ष वर्षो से लम्बित सर्टिफिकेट केस के निष्पादन हेतु एक मुश्त निष्पादन के आधार पर अधिवक्ता शुल्क का निर्धारण **(One time payment of legal fee on disposal basis)** ।

Subject:- Onetime Payment of Advocate Fees on Disposal Basis for the Disposal of Long Pending Certificate Cases Before Different District Certificate Courts.

विभिन्न जिला सर्टिफिकेट कोर्ट के समक्ष अनेकों सर्टिफिकेट केस संचालक अधिवक्ताओं (Conducting Advocate) द्वारा इन मामलों में रूचि न लिए जाने के कारण लम्बित है। ऐसे लम्बित मामलों के कारण एनबीपीडीसीएल के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अनावश्यक रूप से कोर्ट केस में फंसा हुआ है। कंपनी के हित में यह आवश्यक है कि ऐसे लम्बित मामलों का त्वरित निष्पादन कंपनी हित में करा लिया जाय।

तद्नुसार यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे लम्बित तथा मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए स्थानीय अधिवक्ताओं को एक मुश्त निष्पादन के आधार पर अधिवक्ता शुल्क का भुगतान करते हुए मामले का त्वरित निष्पादन करा लिया गया।

अतः वर्षो से लम्बित सर्टिफिकेट केस के निष्पादन हेतु, निष्पादन के आधार पर एक मुश्त अधिवक्ता शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र0 संख्या	सर्टिफिकेट राशि (रू0 में)	सर्टिफिकेट राशि के 60 प्रतिशत या उससे अधिक की वसूली संबंधी सर्टिफिकेट केस के सफल निष्पादन पर अनुमान्य एकमुश्त अधिवक्ता शुल्क(रू0 में)	सर्टिफिकेट राशि के 60 प्रतिशत से कम की वसूली संबंधी सर्टिफिकेट केस के असफल निष्पादन पर अनुमान्य एकमुश्त अधिवक्ता शुल्क(रू0 में)
1	रू0. 50,000/- तक	5,000/-	2,000/-
2.	रू0. 50,001/- से रू0. 1,00,000/- तक	6,000/-	2,500/-
3.	रू0. 1,00,001/- से रू0. 2,50,000/- तक	7,500/-	3,000/-
4.	रू0. 2,50,001/- से रू0. 5,00,000/- तक	10,000/-	3,500/-
5.	रू0. 5,00,001/- से रू0. 10,00,000/- तक	12,500/-	5,000/-
6.	रू0. 10,00,001/- से रू0. 25,00,000/- तक	25,000/-	7,500/-
7.	रू0. 25,00,001/- से रू0. 50,00,000/- तक	30,000/-	10,000/-
8.	रू0. 50,00,001/- से रू0. 1 करोड़ तक	50,000/-	20,000/-
9.	रू0. 1 करोड़ से 5 करोड़ तक	60,000/-	25,000/-
10	रू0. 5 करोड़ से अधिक	1,00,000/-	30,000/-

यह आदेश दिनांक 01.06.2013 के प्रभाव से प्रभावी होगा। इस पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)